बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

के0प्रा0यो0 (शत प्रतिशत)

ज्ञापांक— 1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0—32/2008— पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2017—18 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल रू0 5677.00 लाख (रूपये छप्पन करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः— **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में कुल रू0 7792.65 लाख (रूपये सतहत्तर करोड़ बयानवे लाख पैंसठ हजार) मात्र का बजट उपबंध किया गया है। उक्त उपबन्धित राशि के विरूद्ध राशि की उपलब्धता के आधार पर कुल रू0 5677.00 लाख (रूपये छप्पन करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

2— उक्त सम्पूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2017—18 में मॉंग संख्या—11 के अन्तर्गत योजना बजट शीर्ष "2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—03—पिछड़े वर्गों का कल्याण—277—शिक्षा—0215—पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति—3401 छात्रवृत्ति/ वजीफा विपत्र कोड—11—2225032770215 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सम्बन्धी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016—17 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र की स्वीकृति पर किया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी राशि की नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण—पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

4— इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या—2561, दिनांक—17.04.1998, वित्त विभाग का संकल्प ज्ञापांक—3808 दिनांक—02.06.2017 तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

5— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी हीं की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक—31.03.2018 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

6— इस संबंध में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7— स्वीकृत्यादेश में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

8— संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

9— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1 / छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32 / 2008– 53, अनु0 पटना, दिनांक– 11/12/17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.12.17
सरकार के सचिव।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि की विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	पटना	518.00
2	नालंदा	428.00
3	रोहतास	264.00
4	भभुआ	75.00
5	भोजपुर	115.00
6	बक्सर	87.00
7	गया	376.00
8	जहानाबाद	88.00
9	अरवल	92.00
10	नवादा	117.00
11	औरंगाबाद	165.00
12	सारण	205.00
13	सिवान	158.00
14	गोपालगंज	131.00
15	मुजफ्फरपुर	210.00
16	सीतामढ़ी	179.00
17	शिवहर	19.00
18	प0 चम्पारण	120.00
19	पू0 चम्पारण	162.00
20	वैशाली	146.00
21	दरभंगा	239.00
22	मधुबनी	177.00
23	समस्तीपुर	236.00
24	सहरसा	81.00
25	सुपौल	66.00
26	मधेपुरा	72.00
27	पूर्णियाँ	119.00
28	अररिया	74.00
29	किशनगंज	43.00
30	कटिहार	122.00
31	भागलपुर	179.00
32	बाँका	207.00
33	मुँगेर	24.00
34	लखीसराय	58.00
35	शेखपुरा	61.00
36	जमुई	58.00
37	खगड़िया	62.00
38	बेगुसराय	144.00
	कुल योग	**5677.00**

(रूपये छप्पन करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र

पत्रांक– 53 दिनांक– 11/12/17 का अनुलग्नक

11.12.17

सरकार के सचिव।